कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

आदेश

क्रमांक/स्था./2025/ 495 दिनांकः— 20/9/25

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/893 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से **छः माह/दो वर्ष** की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700/— रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नाकिंत चयनित आशुलिपिक ग्रेड—III (हिन्दी) को नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

S.No.	Candidate's Name	Father's Name	Date of Birth	Roll No.	Home District	Selected Category	Gender
01.	Gunvakil Soni	Mohanlal Soni	20-08-2000	59331	Nagaur	Gen	Female
02.	Gudiya Kumawat	Sita Ram Kumawat	10-01-1997	51764	Jaipur	OBC	Female
03.	Saniya Verma	Umesh Verma	07-05-2005	59960	Jaipur	SC	Female

1. सभी नियुक्तियॉ आशुलिपिक ग्रेड—तृतीय की आयोजित परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे—मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय—समय पर जारी नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. बायोमेट्रिक डाटा का सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर
20.9.25

क्रमांक/ 32871 – 32876

दिनांकः– 20/9/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. सुश्री गुनवकील सोनी पुत्री श्री मोहनलाल सोनी निवासी चुड़ो का मोहल्ला, सिखवालो का मोहल्ला, मेड़ता सिटी जिला नागौर 341510 राजस्थान मोबाईल नम्बर 7014147182 ई–मेल आई. डी.–gvsoni7182@gmail.com
3. सुश्री गुड़िया कुमावत पुत्री श्री सीता राम कुमावत निवासी माल की ढाणी, महावीर पब्लिक स्कूल के पास सांगोनर, जयपुर 302029 मोबाईल नम्बर 9079379250 ई–मेल आई. डी. –gudiyakmtjpr@gmail.com
4. सुश्री सानिया वर्मा पुत्री श्री उमेश वर्मा निवासी 6, हनुमान मंदिर के पीछे, पीली का खाना, सांगानेर, जयपुर 302029 राजस्थान मोबाईल नम्बर 9887611171 ई–मेल आई. डी. –saniyaverma720@gmail.com
5. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय लेखा शाखा, जिला न्यायालय अजमेर
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर
20.9.25